विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये निम्नलिखित तारांकित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर।

5 (क)	क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की गौशालाओं में गौवंशों के लिए प्रतिदिन, प्रति गौवंश आहार के लिए कितनी धनराशि दी जाती है ?	शासनादेश संख्या–2557/सैंतीस–2–2017, दिनांक 15.12.2017 में विद्यमान व्यवस्थानुसार पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित पशुओं की संख्या के आधार पर आंकलन कर गौशाला की संख्यात्मक क्षमता व भौतिक निरीक्षण के समय गौशाला में उपलब्ध गोवंश की वास्तविक संख्या में से जो कम हो, को मानक मानते हुए उसके 70प्रतिशत की संख्या को मानक के रूप में स्वीकार करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में रू0–30/– प्रतिदिन प्रति गोवंश के आधार पर कुल 365 दिनों के लिए भरण पोषण हेतु अनुदान दिया जाता है।
(ख)	क्या यह धनराशि प्रतिदिन के लिए पर्याप्त है?	गौशाला एक धर्मार्थ संस्था है, जिसका निर्माण व संचालन निजी/स्वंयसेवी संस्था एव दानोत्तरीय धार्मिक व अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि भरण पोषण अनुदान के रूप में गौशालाओं को सहायतार्थ दी जाती है।
(ग)	यदि हाँ, तो किस प्रकार से ?	उपर्युक्तानुसार।
(घ)	यदि नही, तो क्या इसे बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है?	जी नहीं।

धर्मपाल सिंह
मंत्री,
पशुधन विभाग, उ0प्र0।